

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18

जयपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
पाली।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त जारी आवासों को आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित करने के क्रम में।

**प्रसंग :-** एफ 27(43) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18 जयपुर, दि. 23.11.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के छत के कार्य पूर्ण होने पर तृतीय/अंतिम किश्त दिये जाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों में से 73534 आवासों को तृतीय किश्त का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जबकि आवाससॉफ्ट पर 32802 (45%) आवास ही प्रदर्शित हो रहे हैं। दिनांक 23.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संलग्न पीपीटी द्वारा आवाससॉफ्ट पर तृतीय किश्त हेतु लेवल (6) के ऑप्शन के उपरान्त लेवल (7) Completed का निरीक्षण अपलोड कराये जाने बाबत विस्तृत जानकारी दी जाकर उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे आवाससॉफ्ट पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित हो सकें।


आपके जिले की प्रगति की समीक्षा पर वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अभी भी पूर्ण आवासों में से मात्र 23% आवास ही आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

अतः उक्त संबंध में आपके स्तर से समीक्षा कर पूर्ण आवासों की प्रगति आवाससॉफ्ट पर 7 दिवस में दर्ज कराना सुनिश्चित कराते हुए कार्य में शिथिलता के दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर विभाग को अवगत करावे।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू)/प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षक अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18

जयपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
जोधपुर।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त जारी आवासों को आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित करने के क्रम में।

**प्रसंग :-** एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18 जयपुर, दि. 23.11.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के छत के कार्य पूर्ण होने पर तृतीय/अंतिम किश्त दिये जाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों में से 73534 आवासों को तृतीय किश्त का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जबकि आवाससॉफ्ट पर 32802 (45%) आवास ही प्रदर्शित हो रहे हैं। दिनांक 23.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संलग्न पीपीटी द्वारा आवाससॉफ्ट पर तृतीय किश्त हेतु लेवल (6) के ऑप्शन के उपरान्त लेवल (7) Completed का निरीक्षण अपलोड कराये जाने बाबत विस्तृत जानकारी दी जाकर उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे आवाससॉफ्ट पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित हो सकें।


आपके जिले की प्रगति की समीक्षा पर वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अभी भी पूर्ण आवासों में से मात्र 21% आवास ही आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

अतः उक्त संबंध में आपके स्तर से समीक्षा कर पूर्ण आवासों की प्रगति आवाससॉफ्ट पर 7 दिवस में दर्ज कराना सुनिश्चित कराते हुए कार्य में शिथिलता के दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर विभाग को अवगत करावे।

  
(सुदर्शन सैनी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू)/प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षक अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18

जयपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
भीलवाडा।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त जारी आवासों को आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित करने के क्रम में।

**प्रसंग :-** एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18 जयपुर, दि. 23.11.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के छत के कार्य पूर्ण होने पर तृतीय/अंतिम किश्त दिये जाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों में से 73534 आवासों को तृतीय किश्त का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जबकि आवाससॉफ्ट पर 32802 (45%) आवास ही प्रदर्शित हो रहे हैं। दिनांक 23.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संलग्न पीपीटी द्वारा आवाससॉफ्ट पर तृतीय किश्त हेतु लेवल (6) के ऑपशन के उपरान्त लेवल (7) Completed का निरीक्षण अपलोड कराये जाने बाबत विस्तृत जानकारी दी जाकर उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे आवाससॉफ्ट पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित हो सकें।

आपके जिले की प्रगति की समीक्षा पर वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अभी भी पूर्ण आवासों में से मात्र 20% आवास ही आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

अतः उक्त संबंध में आपके स्तर से समीक्षा कर पूर्ण आवासों की प्रगति आवाससॉफ्ट पर 7 दिवस में दर्ज कराना सुनिश्चित कराते हुए कार्य में शिथिलता के दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर विभाग को अवगत करावे।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू)/प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18

जयपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
प्रतापगढ़।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त जारी आवासों को आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित करने के क्रम में।

**प्रसंग :-** एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18 जयपुर, दि. 23.11.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के छत के कार्य पूर्ण होने पर तृतीय/अंतिम किश्त दिये जाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों में से 73534 आवासों को तृतीय किश्त का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जबकि आवाससॉफ्ट पर 32802 (45%) आवास ही प्रदर्शित हो रहे हैं। दिनांक 23.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संलग्न पीपीटी द्वारा आवाससॉफ्ट पर तृतीय किश्त हेतु लेवल (6) के ऑप्शन के उपरान्त लेवल (7) Completed का निरीक्षण अपलोड कराये जाने बाबत विस्तृत जानकारी दी जाकर उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे आवाससॉफ्ट पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित हो सकें।


आपके जिले की प्रगति की समीक्षा पर वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अभी भी पूर्ण आवासों में से मात्र 20% आवास ही आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

अतः उक्त संबंध में आपके स्तर से समीक्षा कर पूर्ण आवासों की प्रगति आवाससॉफ्ट पर 7 दिवस में दर्ज कराना सुनिश्चित कराते हुए कार्य में शिथिलता के दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर विभाग को अवगत करावे।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू)/प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18

जयपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
जैसलमेर।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त जारी आवासों को आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित करने के क्रम में।

**प्रसंग :-** एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18 जयपुर, दि. 23.11.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के छत के कार्य पूर्ण होने पर तृतीय/अंतिम किश्त दिये जाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों में से 73534 आवासों को तृतीय किश्त का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जबकि आवाससॉफ्ट पर 32802 (45%) आवास ही प्रदर्शित हो रहे हैं। दिनांक 23.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संलग्न पीपीटी द्वारा आवाससॉफ्ट पर तृतीय किश्त हेतु लेवल (6) के ऑपशन के उपरान्त लेवल (7) Completed का निरीक्षण अपलोड कराये जाने बाबत विस्तृत जानकारी दी जाकर उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे आवाससॉफ्ट पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित हो सकें।

आपके जिले की प्रगति की समीक्षा पर वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अभी भी पूर्ण आवासों में से मात्र 9% आवास ही आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

अतः उक्त संबंध में आपके स्तर से समीक्षा कर पूर्ण आवासों की प्रगति आवाससॉफ्ट पर 7 दिवस में दर्ज कराना सुनिश्चित कराते हुए कार्य में शिथिलता के दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर विभाग को अवगत करावे।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू)/प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18

जयपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
करौली।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त जारी आवासों को आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित करने के क्रम में।

**प्रसंग :-** एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18 जयपुर, दि. 23.11.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के छत के कार्य पूर्ण होने पर तृतीय/अंतिम किश्त दिये जाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों में से 73534 आवासों को तृतीय किश्त का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जबकि आवाससॉफ्ट पर 32802 (45%) आवास ही प्रदर्शित हो रहे हैं। दिनांक 23.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संलग्न पीपीटी द्वारा आवाससॉफ्ट पर तृतीय किश्त हेतु लेवल (6) के ऑप्शन के उपरान्त लेवल (7) Completed का निरीक्षण अपलोड कराये जाने बाबत विस्तृत जानकारी दी जाकर उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे आवाससॉफ्ट पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित हो सकें।


आपके जिले की प्रगति की समीक्षा पर वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अभी भी पूर्ण आवासों में से मात्र 6% आवास ही आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

अतः उक्त संबंध में आपके स्तर से समीक्षा कर पूर्ण आवासों की प्रगति आवाससॉफ्ट पर 7 दिवस में दर्ज कराना सुनिश्चित कराते हुए कार्य में शिथिलता के दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर विभाग को अवगत करावे।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू)/प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18

जयपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
कोटा।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत तृतीय/अंतिम किश्त जारी आवासों को आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित करने के क्रम में।

**प्रसंग :-** एफ 27(43) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-I/जिला/2017-18 जयपुर, दि. 23.11.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के छत के कार्य पूर्ण होने पर तृतीय/अंतिम किश्त दिये जाने का प्रावधान है। राज्य में अब तक वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों में से 73534 आवासों को तृतीय किश्त का हस्तान्तरण किया जा चुका है, जबकि आवाससॉफ्ट पर 32802 (45%) आवास ही प्रदर्शित हो रहे हैं। दिनांक 23.11.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संलग्न पीपीटी द्वारा आवाससॉफ्ट पर तृतीय किश्त हेतु लेवल (6) के ऑप्शन के उपरान्त लेवल (7) Completed का निरीक्षण अपलोड कराये जाने बाबत विस्तृत जानकारी दी जाकर उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्ण आवासों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे आवाससॉफ्ट पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित हो सकें।


आपके जिले की प्रगति की समीक्षा पर वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त अभी भी पूर्ण आवासों में से मात्र 3% आवास ही आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना को प्रदर्शित करता है।

अतः उक्त संबंध में आपके स्तर से समीक्षा कर पूर्ण आवासों की प्रगति आवाससॉफ्ट पर 7 दिवस में दर्ज कराना सुनिश्चित कराते हुए कार्य में शिथिलता के दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर विभाग को अवगत करावे।

  
(सुदर्शन सेठी)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू)/प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

URGENT

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(43)ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/अ. वि./2017-18 जयपुर, दिनांक 23 नवम्बर, 2017

जिला कलक्टर,  
समस्त, राजस्थान।

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों को दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण करने एवं वर्ष 2017-18 की स्वीकृतियां एवं प्रथम किश्त 15 नवम्बर, 2017 तक जारी करने बाबत।


**प्रसंग:-** विभागीय क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/प्रगति-2/2017-18 दिनांक 27.10.2017 एवं एफ 27(48)ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/M-1/जिला/2017-18 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित पीआरसी की बैठक दिनांक 16-17 नवम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों एवं विभागीय प्रासंगिक पत्रों द्वारा वर्ष 2016-17 के स्वीकृत आवासों को 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कराने एवं वर्ष 2017-18 के लक्ष्यानुसार 15 नवम्बर, 2017 तक स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त हस्तान्तरण के निर्देश दिये गये थे।

उक्त सम्बन्ध में वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 250037 आवासों में 49586 (15.83 %) आवासों को द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई है एवं 75016 (30 %) आवास ही पूर्ण, जबकि मात्र 27675 आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित है। आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित होने के लिए तृतीय किश्त (Roof cast) लेवल (6) के साथ-साथ ही लेवल (7) पूर्ण (Completed) एवं निर्मित शौचालय की निरीक्षण की फोटो के साथ आवाससॉफ्ट पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 में 223629 लक्ष्यों के विरुद्ध 28912 (12.92 %) आवासों की स्वीकृति जारी होना शेष है, जो खेदजनक है।


इस बाबत उल्लेख है कि आवास का निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाता है, परन्तु समय पर किश्त हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु टैग अधिकारी/आवास सहायक/ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत की पंचायत स्तर पर निरीक्षण व सहयोग, ब्लॉक आवास प्रभारी/लिपिक की किश्त हस्तान्तरण हेतु ऑर्डरशीट/एफटीओ तैयार करने, लेखाकार की एफटीओ हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित करने हेतु विकास अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें। समीक्षा में ध्यान में आया है कि इन स्तर के कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा भी कार्य में रुचि नहीं लेने/लापरवाही के कारण आवास योजना की प्रगति प्रभावित हुई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना की प्रगति की आप अपने स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा कर क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर, 30 नवम्बर, 2017 तक वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त एवं वर्ष 2016-17 के आवासों को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
(रोहित कुमार) 23/11  
शासन सचिव, ग्रावि

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)



# AwaasSoft Complete Inspection PMAY-G 2016-17

11C  
23/11/17

- आवाससॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवास – 27675
- आवाससॉफ्ट के अनुसार तृतीय किश्त जारी – 75016
- अन्तर – 47341

कारण :-

- तृतीय किश्त के FTO जारी होने से बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन।
- तृतीय किश्त (Roof cast) लेवल (6) के साथ-साथ ही लेवल (7) पूर्ण (Completed) का निरीक्षण अपलोड नहीं करने के कारण आवास पूर्ण होने के उपरान्त भी आवाससॉफ्ट पर पूर्ण प्रदर्शित नहीं होता।
- लेवल (8) (Toilet Completed) :-
  - स्वीकृति के समय शौचालय सुविधा उपलब्ध :- शौचालय की फोटो की आवश्यकता नहीं है।
  - शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर :- निर्मित शौचालय की फोटो होने पर पूर्ण।

अपेक्षित कार्यवाही :-

- तृतीय किश्त (Roof cast) लेवल (6) के साथ-साथ ही लेवल (7) पूर्ण (Completed) निरीक्षण की फोटो आवाससॉफ्ट पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें।

2016-17 Completion Status						
Sr. No.	Dist.	FTO verified for Illrd Inst	Illrd inst deposited in bank	Complete as per awaasSoft	Diff 3rd	% Diff 3rd
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/4*100
1	<u>KOTA</u>	2087	1814	55	1759	97
2	<u>KARALI</u>	531	466	28	438	94
3	<u>JAISALMER</u>	1583	1507	141	1366	91
4	<u>PRATAPGARH</u>	469	406	81	325	80
5	<u>BHILWARA</u>	6517	6378	1298	5080	80
6	<u>JODHPUR</u>	4911	4626	971	3655	79
7	<u>PALI</u>	7588	7269	1652	5617	77
8	<u>JALORE</u>	3216	2775	813	1962	71
9	<u>BUNDI</u>	1002	926	298	628	68
10	<u>BHARATPUR</u>	759	708	258	450	64
11	<u>SIROHI</u>	1275	1104	412	692	63
12	<u>JHALAWAR</u>	1964	1689	674	1015	60
13	<u>BANSWARA</u>	17817	12976	5281	7695	59
14	<u>SRI</u>	4430	4066	1838	2228	55
15	<u>TONK</u>	1290	1128	514	614	54
16	<u>ALWAR</u>	618	550	258	292	53
17	<u>DUNGARPUR</u>	2516	1932	942	990	51
18	<u>AJMER</u>	1587	1360	766	594	44
19	<u>NAGPUR</u>	3946	3625	2074	1551	43
20	<u>UDAIPUR</u>	3965	3106	1794	1312	42
21	<u>SAWAI</u>	938	732	433	299	41
22	<u>BARAN</u>	1548	1130	721	409	36
23	<u>HANUMANGAR</u>	4165	3983	2624	1359	34
24	<u>JAIPUR</u>	1206	1062	771	291	27
25	<u>DAUSA</u>	802	628	458	170	27
26	<u>SIKAR</u>	508	427	330	97	23
27	<u>BARMER</u>	1844	1589	1359	230	14
28	<u>JHUNJHUNU</u>	316	309	294	15	5
29	<u>CHITTORGARH</u>	2342	1917	1982	0	0
30	<u>CHURU</u>	794	621	658	0	0
31	<u>DHOLPUR</u>	994	889	957	0	0
32	<u>BIKANER</u>	1906	1647	1824	0	0
33	<u>RAJSAMAND</u>	304	189	243	0	0
	<b>Total</b>	<b>85738</b>	<b>73534</b>	<b>32802</b>	<b>40732</b>	<b>55</b>